

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0/07(07)राज/वाद/12 पार्ट-बी


जयपुर दिनांक 10/02/2025

:: आदेश ::

निदेशालय, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग एवं इसके अधीनस्थ राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर, लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजकगण के कार्यालयों में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारीगण की दिनांक 01.04.2025 की स्थिति में अन्तरिम वरिष्ठता सूची (Provisional Seniority List) निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	जन्म तिथि	श्रेणी	पदोन्नति वर्ष
1.	श्री रामनिवास आचार्य	07.09.1966	ओ.बी.सी.	2019-20
2.	श्री उस्मान खॉ	05.06.1982	सामान्य	2022-23
3.	श्रीमती तुलसी शर्मा	07.05.1972	सामान्य	2022-23
4.	श्रीमती अरुणा अरविन्द	21.11.1984	सामान्य	2022-23
5.	श्रीमती कमला देवी	01.08.1966	सामान्य	2022-23
6.	श्री सन्दीप शर्मा	07.07.1986	सामान्य	2022-23
7.	श्री राजेश महावर	23.05.1985	अ.जा.	2023-24
8.	श्रीमती सुमन कंवर	05.04.1978	सामान्य	2023-24
9.	श्री भानी सिंह	19.03.1994	सामान्य	2023-24
10.	श्री बलविन्द्र सिंह	06.06.1992	ओ.बी.सी.	2023-24
11.	श्री अमित कुमार	20.07.1981	अ.जा.	2023-24
12.	श्रीमती बबीता विश्नोई	02.09.1987	ओ.बी.सी.	2023-24
13.	श्रीमती सुमन	11.12.1980	ओ.बी.सी.	2023-24
14.	श्री नरेश कुमार	05.07.1995	ओ.बी.सी.	2023-24
15.	श्री प्रदीप कुमार	19.02.1993	सामान्य	2023-24
16.	श्री भूपेन्द्र सिंह	05.05.1994	एस.बी.सी.	2023-24
17.	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता	22.09.1970	सामान्य	2023-24
18.	श्री सतवीर सिंह	30.09.1972	अ.जा.	2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से)
19.	श्री दलीप सिंह	25.12.1987	ओ.बी.सी.	2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से)
20.	श्री प्रदीप पारीक	19.02.1987	सामान्य	2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से)
21.	श्री देवेन्द्र कुमार जांगिड	17.11.1991	ओ.बी.सी.	2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से)
22.	श्री विश्वेन्द्र सिंह	16.11.1991	ओ.बी.सी.	2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से)
23.	श्री हेमन्त कुमार मीणा	26.12.1993	अ.ज.जा.	2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से)

1. उक्त वरिष्ठता सूची के संबंध में किसी अधिकारी को कोई आपत्ति हो तो वह इस सूची के जारी होने की तिथि से 15 दिवस में अपना लिखित अभ्यावेदन/आपत्तियाँ मय आधार के अपने कार्यालय के माध्यम से विभागीय वेबसाईट (secretarylaw @rajasthan.gov.in) पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि उपरोक्त निर्धारित अवधि तक अभ्यावेदन/आपत्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं तो


10/02/2025

इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी।


हो

(राजेश गुप्ता)

शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण)।
2. संबंधित कार्यालय/संबंधित कर्मचारी।
3. ए.सी.पी., विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।


10/07/2025

शासन सचिव, विधि